न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील संख्या– अपील डिक्री/टीए/3506 /2004/नागौर

1– बीरबल पुत्र श्री भज्जाराम, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम जारोड़ाखुर्द, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

–अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती फूमली पत्नी श्री प्रतापराम

2– खेराजराम पुत्र प्रतापराम

3– श्रीमती गोमती पत्नी गुड़ाराम

4– कंवरीलाल पुत्र गुड़ाराम

5– हरसुखराम पुत्र साजनराम

6– धन्नाराम पुत्र साजनराम

7– रामनिवास पुत्र रामरख

8– पाबूराम पुत्र छोगाराम

9– भीयाराम पुत्र भज्जाराम

10– पाबू पुत्र भज्जाराम

सभी जाति विश्नोई, निवासी ग्राम जारोड़ाखुर्द, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

11– डूंगरसिंह पुत्रान सोहन सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम भूणास।

12– बीरमसिंह तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

13– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मेड़ता, जिला नागौर।

–रेस्पोडेंटस

खण्डपीठ

श्री सी0आर0 मीणा, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री भागचन्द भाटी, अधिवक्ता अपीलांट।

अधिवक्ता रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 12.01.2023

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर कैम्प मेड़ता द्वारा अपील संख्या 145/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका कोई प्रतिरोघ जरिए जवाबदावा रेस्पो./प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने नहीं किया, उसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13—08—2003 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13—08—2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष पेश की, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28—07—2004 द्वारा खारिज कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28—07—2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3— प्रकरण में रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस जारी होने के बाद ए.डी. प्राप्त नहीं होने तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं होने से हमनें अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी।

4— अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय क्रमशः दिनांक 13—08—2003 व 28—07—2004 न्याय, नियम एवं रिकार्ड विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना एवं नोटिस के परीक्षण

न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उसमें वर्णित तथ्यों एवं कथनों का कोई प्रतिरोध ही किया। जिससे कानून के अनुसार उनकी स्वीाकारोक्ति मानी जाकर वादी/अपीलांट का वाद डिक्री फरमाया जाना न्यायोचित था, फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रविवादीगण द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं करने के बावजूद अपीलांट का वाद निरस्त करने में कानूनी भूल की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सीपीसी में वर्णित प्रावधानों को कतई नजरअंदाज कर निर्णय पारित किए हैं, जबकि सीपीसी के अनुसार जब तक प्रतिवादीगण की ओर से वाद का स्पेसिक डिनाइल नहीं हो, तब तक वाद को सही माना जाकर उसी के अनुसार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, परंतु प्रस्तुत केस में प्रतिवादीगण को समुचित नोटिस तामीली के बावजूद एवं वाद में वर्णित कथनों का ज्ञान होने के बावजूद प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से कोई प्रतिवाद पेश नहीं किया। जिससे स्पष्ट सिद्ध था कि प्रतिवादीगण वादी/अपीलांट के वाद को स्वीकार करते हैं और वादी के वाद को डिक्री किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वादी का वाद सही एवं सत्य कथनों पर आधारित था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने मात्र लिखित दस्तावेज के अभाव में वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलांट स्वर्गीय भज्जाराम के जीवनकाल से ही विवादग्रस्त भूमि पर तन्हा रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा विवादित भूमि में रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 को उनके हिस्से की भूमि के बदले वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में ही नगद रूपये दिए थे जिससे उन्होंने दूसरे गांव में जमीन खरीद ली और वहीं रहकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं तथा विवादित भूमि से उनका कोई संबंध एवं सरोकार नहीं रहा है और न ही उनका कोई कब्जा ही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने मौके एवं तथ्यों की वास्तविकता को नजरअंदाज कर जो निर्णय व डिक्री पारित की है, वह निरस्त किए जाने योग्य है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य एवं स्वतंत्र गवाहों के बयानों को नजरअंदाज कर निर्णय एवं डिक्री पारित किए है, जबकि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 की ओर से न तो कोई जवाबदावा ही प्रस्तुत किया गया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर, मेड़ता कैम्प एवं उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 28–07–2004 एवं 13–08–2003 को निरस्त किया जावें।

5— हमनें अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

6— पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रकट होता है कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष बतौर साक्ष्य ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि वादी द्वारा उक्त जमीन रूपये देकर खरीदी हो और प्रतिवादीगण का हिस्सा उसमें नहीं रखने का अभिकथन किया गया हो । पुश्तैनी आराजी में सभी वारिसान का बराबर—बराबर हक, हिस्सा होता है, जब तक कि अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अपने हक का परित्याग नहीं कर दिया हो । जहां तक अपीलांट का कथन कि प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय को उनके वाद को डिक्री करना चाहिये था । महज प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के आधार पर अपीलांट की ईस्तदुआ इस दृष्टि से मानने योग्य प्रतीत नहीं होती है । चूंकि उनके द्वारा कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज अपने वाद की पुष्टि के लिए अधीनस्थ न्यायालयों में पेश नहीं किए गए है । अतः विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर न्यायोचित निर्णय पारित किए गए है जिनमें हम द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश महसूस नहीं करते है । अतः अपील अपीलांट बिना साक्ष्य, सबूतों के आधार पर प्रस्तुत होने से खारिज योग्य पायी जाती है ।

7— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर कैम्प मेड़ता द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2004 यथावत् रखा जाता है ।

8— अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(सी0आर0 मीणा)
सदस्य